<u>न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 128/2019 **दायर दिनांकः 26/08/2019**

उनवान

1. रामपाल आयु 52 वर्ष पुत्र अमरा जाति मीना निवासी उम्मेदगंज (नरसिंहपुरा) तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 राज0 टीनेन्सी एक्ट एवं</u>
<u>धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती</u>

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 07/01/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 राज0 टीनेन्सी एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0 एक्ट बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती का इस आशय का पेश किया है, कि वाके ग्राम उम्मेदगंज पटवार हल्का सहरोद तह० अटरू जिला बारां में खाता संख्या नया 60 पुराना 55 से खसरा सख्या 12 रकबा 1.58 हैक्टर, खसरा संख्या 37 रकबा 0.63 हैक्टर, खसरा संख्या 109 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा संख्या 188 रकबा 0.16 हैक्टर, कुल किता 4 कुल रकबा 4.17 हैक्टर स्थित है। जो वर्तमान जमाबन्दी सं० 2074 से 2077 अनुसार रामस्वरूप, रामगोपाल, रामकुंवार पुत्र अमरा दांखाबाई पत्नि स्व. अमरा हि. 4/5 ना.बा पुत्र फुलाबाई पत्नि स्व. प्रेमप्रकाश हि. 1/5 जाति मीना सा. देह खातेदार राजस्व रिकाई मे अंकित है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे सहवन से जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 मे [illegible] के स्थान रामगोपाल गलत अंकित कर दिया है। जबकि वादी का नाम [illegible] रामपाल है। सरकारी रिकार्ड फोटो पहिचान पत्र, आधार कार्ड मे भी वादी का नाम [illegible] ही अंकित है। [illegible] जमाबन्दी 1 जौलाई 1989 से 30 जून 2009 ग्राम नरसिंहपुरा तह० अटरू जिला कोटा मे खाता सख्या 144

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा सं. 135 खसरा संख्या 12 रकबा 1.58 हैक्टर, खसरा संख्या 37 रकबा 0.63 हैक्टर, खसरा संख्या 109 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा सख्या 188 रकबा 0.16 हैक्टर, कुल किता 4 कुल रकबा 4.17 हैक्टर स्थित हैं। जो काना पि. नन्दा 1/2 रामस्वरूप, रामपाल, रामकुंवार, प्रेमप्रकाश पुत्र अमरा, दाखाबाई बेवा अमरा हि. 1/2 बराबर मीना सा. देह खातेदार राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। वादी का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे रामपाल के स्थान पर रामगोपाल गलत दर्ज कर देने से वादी को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने मे काफी कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है। इस कारण वादी राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम रामगोपाल जो गलत अंकित है, को दुरूस्त करवाकर सही व वास्तविक नाम रामपाल दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी द्वारा प्रतिवादी व उसके अधिनस्थ कर्मचारियो एंव अधिकारियो से उक्त दुरूस्ती के लिये कई बार मोखिक एवं लिखित मे निवेदन किये, लेकिन उन्होने कोई ध्यान नही दिया गया। वादी उपरोक्तानुसार संशोधन करा पाने के अधिकारी एंव नालिशी है। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय मे पेश किया जा रहा है। वाद कारण अंतिम बार दिनांक 15.07.2019 को प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारियो/अधिकारियो द्वारा उक्त नाम दुरुस्त करने स्पष्ट इन्कार करने पर तहसील अटरू क्षेत्र मे पेदा हुआ। वाद पेश करने से पूर्व वादी ने राज० सरकार जरिये प्रतिनिधि जिला कलैक्टर बारा को नोटिस धारा 80 सी० पी० सी० का अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित करवा दिया है, जिसकी मियाद अभी समाप्त नही हुई है। वाद आवश्यक प्रकृति का है। इस कारण अविलम्ब न्यायालयी सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। अस्तु धारा 80(2) सी.पी.सी. के आवेदन के साथ वाद पेश है। वाद का मूल्यांकन विवादित आराजी के लगान का 50 गुना कायम किया जाकर उचित न्याय शुल्क पर वाद अवधि मध्य पेश है। विवादित आराजी वाके ग्राम उम्मेदगंज तह अटरू मे स्थित है । इस कारण माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

—::प्रार्थना::—

अतः वादी, प्रार्थी है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय कि डिक्री पारित फरमायी जावे:—

(क) मद नं० 1 वाद पत्र मे वर्णित विवादित आराजीयात जो वादी का नाम रामगोपाल गलत अंकित है, को दुरूस्त कर रामपाल अंकित करने की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड अमल दरामद करवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested

(ख) वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण मे राजहित प्रभावित नही हो रहा है। जबाव दावा दिया जाना आवश्यक नही है। जबाव दावा प्रतिवादी बन्द किया गया।

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत Pw_1 का शपथ पत्र पेश किया तथा रिकार्ड EXP करवाया गया। अभिभाषक वादी की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में रामगोपाल के स्थान पर रामपाल दर्ज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड, जमाबन्दी ग्राम उम्मेदगंज की खाता संख्या 60 की कुल किता 4 रकबा 4.17 है0 में सहखातेदार के रूप में वादी का नाम रामगोपाल दर्ज है। भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र विधुत बिल, आधारकार्ड व ग्रमा नृसिंहपुरा की जमाबन्दी भू– प्रबन्धक विभाग में वादी का नाम रामपाल पुत्र अमरा दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम उम्मेदगंज की खाता संख्या 60 कुल किता 4 रकबा 4.17 है0 में सहखातेदार रामगोपाल के स्थान पर रामपाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 128/2019

उनवान

1. रामपाल आयु 52 वर्ष पुत्र अमरा जाति मीना निवासी उम्मेदगंज (नरसिंहपुरा) तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 राज0 टीनेन्सी एक्ट एवं</u>
<u>धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X...............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम उम्मेदगंज की खाता संख्या 60 कुल किता 4 रकबा 4.17 है0 में सहखातेदार रामगोपाल के स्थान पर रामपाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 07/01/2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	[illegible] वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)